निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 75/2023
दायरा दिनांकः—30.11.2023
निर्णय दिनांकः— 5.11.24

उनवान

1. भूरालाल आयु 63 वर्ष पुत्र लोहडिया जाति मीणा निवासी नुरपुरा उर्फ नयागांव तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. भागचन्द आयु 61 वर्ष पुत्र लोहडिया जाति मीणा निवासी नुरपुरा उर्फ नयागांव तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कल्याणसिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्यामलाल जाति मीणा
2. बनवारी आयु 30 वर्ष पुत्र कल्याणसिंह जाति मीणा निवासीगण नुरपुरा उर्फ नयागांव
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 5.11.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 कल्याणसिंहके संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 66 रकबा 2.4911 हैक्टर व खसरा न. 67 रकबा 0.9990 हैक्टर कुल 2 किता कुल रकबा 3.4901 हैक्टर वाके माल ग्राम नुरपुरा उर्फ नयागावं तहसील छबड़ा जिला वारां राज. में अवस्थित है। जिसमे वादी क्रम 1 भूरा का हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 2 भागचन्द का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 कल्याणसिंह का हिस्सा 1/4. हैं। जिसका इन्द्राज रेवेन्यू रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी स. 24 (वर्ष 2023) में अंकित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी का विकास, कराना चाहता हैं। जो बिना विभाजन के सम्भव नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कई बार सीमा विवाद हो चुका हैं। जिसक कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि का अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास, उपयोग—उपभोग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिऐ वादीगण मुताबिक खातेदारी अच्छी में अच्छी व बुरी मे से बुरी के अनुसार उक्त भूमि का विभाजन कर बटवारा व पैमाइश करा कर अपना खाता अलग कराना चाहता है जिसका प्रार्थीगण वैधानिक अधिकारी है। इसलिए उक्त भूमि का बटवारा व पैमाईश कराना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। अप्रार्थीगण जो आपस मे पिता—पुत्र हैं। जो आपराधिक प्रवृति के संगठीत परिवार के सदस्य

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से अकारण व सीमा विवाद को लेकर प्रार्थीगण से लड़ाई–झगड़ा कर प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से काबिज होना चाहते हैं। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9.11.2023 प्रार्थी भागचन्द के साथ अकारण मारपीट तथा प्रार्थीगण को खेत पर आने पर हाथ–पैर काटने की धमकी दी। जिसकी रिपोट थाना बापचा मे दर्ज करायी गयी। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से अपने हिस्से खातेदारी की भूमि का विधिवत पैमाईश व बटवारां कराने को कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश व बटवारां कराने से से साफ इन्कार कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को आशंका उत्पन्न हो चुकी हैं यदि अप्रार्थीगण किसी भी समय प्रार्थीगण से विवाद मारपीट कर उनके हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण को अकारण ही कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। समय व जन–धन की क्षति होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थीगण को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है। उक्त विवादीत आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिस पर बिना विभाजन अप्रार्थीगण एवं उसके परिजनो द्वारा भूमि की मेढ/ सीमा को लेकर विवाद प्रारम्भ करने एवं अपने खेत का अस्थायी बाउंड्री को आगे बढाने का लगातार प्रयास कर रहे है। प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का बटवारा व अपने–अपने हिस्से की पैमाईश कराने की बात अन्तिम बार दिनांक 16–11–2023 को विभाजन की बात की तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ विभाजन कराने से साफ इन्कार कर तथा प्रार्थीगण से झगडे पर आमादा हुऐ। प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से की उक्त आराजी का बटवारा व पैमाईश कानूनन कराना एवं प्रार्थीगण को उसकी भूमि का शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत अप्रार्थीगण को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि के विभाजन कराने व शान्तिपूर्वक उसके कब्जे खातेदारी की सीमा में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत् अप्रार्थीगण को कई बार समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 16–11–2023 को विभाजन की बात की तो प्रतिवादी गण आक्रोश में आ गऐ विभाजन कराने से साफ इन्कार कर तथा प्रार्थीगण से झगडे पर आमादा हुऐ। अप्रार्थीगण ने वादी को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नुरपुरा उर्फ नयागांव सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 24 नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का 1/2 एवं प्रार्थी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का विकास करना चाहता है जो शामलाती खातेदारी में सम्भव नही है इसलिए भूमि का विभाजन कराना आवश्यक है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से काबिज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चाहतें है अप्रार्थीगण बिना विभाजन कराये भूमि पर अतिक्रमण कर बेदखल करना हितें है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नूरपुरा उर्फ नयागांव सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 24 के अनुसार प्रार्थी क्रम 1 भूरा का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी क्रम 2 भागचन्द का हिस्सा 1/4 दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी शामलाती खातेदारी में है प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराने हेतु दावा पेश किया है विवादित आराजी शामलाती होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहतें है इसलिए प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे एवं रिकार्ड की यथास्थिति का निवेदन किया है प्रार्थीगण अपने हिस्से तक अप्रार्थीगण को पावन्द कराना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्षों को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नुरपुरा उर्फ नयागांव तहसील छबडा के खसरा नम्बर 66 रकबा 2.4911 है0 खसरा नम्बर 67 रकबा 0.9990 है0 मौके की यथास्थिति बनाए रखें

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा